UPLL010024732021

न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

सत्र विचारण संख्या 342/2021

सरकार बनाम छत्रपाल सिंह

अन्तर्गत धारा 306, 323 भा.द.सं.

थाना गिरार, जनपद ललितपुर।

आरोप

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्त छत्रपाल सिंह पुत्र साहब सिंह उर्फ सदर लोधी, निवासी ग्राम कारीटोरन, थाना गिरार जनपद ललितपुर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि आप अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को मारपीट करके अपमानित किया गया तथा उसे आत्महत्या करने हेतु उकसाया/उत्प्रेरित किया गया, जिससे दिनाँक 23.09.2020 को सुबह 9 बजे वादी की पुत्री द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली गयी। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–01.01.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–01.01.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2022.01.01 11:46:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।</u>

सत्र विचारण संख्या 342/2021

सरकार बनाम छत्रपाल सिंह

अन्तर्गत धारा 306, 323 भा.द.सं.

थाना गिरार, जनपद ललितपुर।

01.01.2022

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त छत्रपाल सिंह जेरे जमानत समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा उसे उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को आत्महत्या हेतु उकसाया/उत्पीड़ित किया गया तथा उसकी मारपीट की गयी, जिससे उसके द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली गयी। इसलिए अभियुक्त पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 306, 323 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 306, 323 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक 28.01.2022 को पेश हो।

दिनॉक–01.01.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।